BIHAR HUMAN RIGHTS COMMISSION

9, Bailey Road, Patna

File Nos. BHRC/Comp. 3127/12

(Suo Motu Cognizance)

Case of removal of uteruses of women in Bihar: (Compensation awarded)

28.04.2016

Secretary, Health Department, Sri Jitendra Sinha present.

This case was initiated suo motu by Commission by order dated 20.08.2012 on the basis of press reports. The matter related to unwarranted surgeries performed on ladies. After the Commission took notice of the matter it appears that the Chief Minister convened a meeting as a result of which an order was passed on 19.10.2012 appointing an expert committee to investigate the matter. Inspite of the personal interest of the Chief Minister the matters took a long time to come to near conclusion.

Excerpts from some previous orders will reveal the complete picture. The first order was passed on 30.08.2012:-

> "Different newspapers in the last few days have published reports about cases of removal of uteruses purportedly under Rashtriya Swasthya Bima Yojna (YSBY). They do not appear to be sporadic incidents; rather they seem to have been done in a

systematic manner as if they were result of conspiracy and part of some racket. The reports refer to the districts of Saran, Sitamarhi, Samastipur, Jamui, Sasaram, Begusarai, Katihar, Saharsa, Supaul but the incidents apparently have taken place in whole state.

> In some cases – as per the reports, money passed without any surgery and the booty was distributed among the beneficiaries; in some other cases, operations were performed by farzi doctors i.e. unqualified persons. In a large number of cases, uteruses of young under-aged girls and women below the prescribed age were removed. Removal of uterus deprives a woman of the opportunity of being a mother and attaining complete womanhood. Right of procreation is a facet of right to life and therefore involves human right issues."

Thereafter, it appears nothing had happened in the matter till an order was passed on 20.11.2014 by the Commission. The order is reproduced:-

> "This case is pending in this Commission from 30th August, 2012. The case was initiated on the basis of media reports about cases of removal of uteruses under Rashtriya Swasthya Bima Yojna (RSBY). This was reported in the press that money was distributed without any surgeries. In some cases operations were performed by farzi doctors. In some cases uteruses of young under-aged girls were also removed.

> Notice was sent to Principal Secretary, Labour Resources Department and Principal Secretary, Health Department. Labour Department filed a report on 3rd July, 2013 submitting that government had passed an order on 19.10.2012 after a meeting was convened by the Chief Minister. Accordingly, an expert committee was formed and 11 districts had been inspected. The Committee in the case of some of the districts found that in 316 cases unwarranted surgeries were performed

and without reason the ladies were deprived of their uteruses. Some beneficiaries were between the age group of 20-30 and some were between 30-40 and some of them were even above 40 years.

So far we have been able to get the report of only ten districts and this report does not speak well of the authorities concerned. After submission of this incomplete report nobody from the state is cooperating in the matter. We have not been informed about the reports of the committees in other districts. We have also not been informed as to whether the responsibilities were fixed and if so what action was taken. Inspite of repeatedly requesting the Principal Secretary, Labour Resources Department and Principal Secretary, Health Department to appear and explain, they did not cooperate.

Therefore, the Chief Secretary of the State of Bihar is directed to direct his concerned officers to cooperate with the Commission.

If the Commission does not get the cooperation of the officers, the matter will have to be finally concluded without hearing the state.

The Commission feels it appropriate to inform the Chief Secretary about the matter before it is forced to issue notice u/s 16 of the Protection of the Human Rights Act to the concerned officers.

The matter shall come up again on 22.12.2014."

The things started moving but the Commission noticed the deficiencies in the inquiries by order dated 28.01.2016:-

"Medical Advisor, State Health Society, Dr. R.K. Chaudhary with OSD, Health Department, Mr. Shankar Prasad present.

Reports have been filed but they are still not complete. The respondent will give a detailed report furnishing forthwith following information:-

(i) Total number of surgeries performed

(ii) Total number of unwarranted surgeries performed district wise

(iii) Number of persons age-wise who were subjected to unwanted surgeries.

(iv) District wise action taken against the concerned officers/ doctors and other staff and also details of compensation awarded to the victims.

On 19.10.2012 a report was filed by Sri A.L. Meena, Secretary, Labour Resources Department, Patna in which it was stated:-

"As the news regarding the hysterectomy operations performed on under aged girls and woman under RSBY came in various newspapers, the government took the matter seriously and a high level meeting under the chairmanship of Hon'ble Chief Minister was held on the same day in which officials of Labour Resources Department and Health Department participated. Thread bare discussions were held and it was decided to enquire into the matter by the District magistrates of all the districts of Bihar through a committee of competent doctors and officers (copy of the letter and the reminder there on are enclosed). The order was again reiterated to all the District Magistrate through video conferencing conducted by Chief Secretary on 27.08.12."

Since the Chief Minister had ordered constitution of a committee the Commission would like to know results of the decision taken by the Chief Minister. The report shall also be filed before the Commission by next date.

Since the letter was produced before this Commission by Secretary, Labour Resources Department a notice be sent to Secretary, Labour Resources Department, Bihar, Patna.

List on 19.02.2016."

A comprehensive report has now been filed; certain details are still awaited but the Commission appreciates the work being done though late. It is reported that as a result of inquiry it is found that 540 unwanted surgeries have been carried out which resulted in removal of uteruses of the ladies. Certain action is being contemplated against certain doctors. MCI has been approached. Certain FIRs have also been filed but to conclude the matter, the government will take further time. The Commission gives a further period of six weeks to the Government to finalize the issues.

On the basis of the record available with the Commission as of now as a result of thorough inquiry by the Government there have been in all 540 unwarranted surgeries performed in various districts of Bihar. One of the lady who has been deprived of her uterus was aged below 20. 103 ladies were between 20-30; whereas between 30-40 there were 288 ladies. There were 163 ladies who were deprived of their uterus who were aged above 40 years.

This act is barbaric and prima facie it appears these surgeries were only performed to get incentive by way of package amounts by insurance companies. A person responsible for such acts must be adequately punished and steps should also be taken to remove such persons from the health care system. It is expected from MCI to look into the matter thoroughly, fairly and squarely. The State Government has already referred matters relating to certain doctors to MCI.

It will not be proper for the Commission to observe anything about the conduct of said districts. Their ommissions and commissions if any will be gone into by MCI. However, since Government has admitted that unwanted surgeries have been performed, therefore Commission feels grant of compensation to victims should not be further delayed. In fact, these ladies should have been compensated much earlier. Commission directs that a compensation of Rs.2.50 lakh each be paid to the ladies between 20 & 40 and compensation of Rs.1.50 lakh each be paid to the ladies above 40.

Deprivation of a part of body of any person is shocking and if this is due to negligence or for dishonest purposes it becomes tortuous. The Commission can imagine the shock both physical and psychological of a lady to lose her womb. There were ladies in each group of 20-40 which is a productive age and without medical necessity removing the uterus is simply criminal. Generally speaking the age group of about 40 is not productive though there are exceptions but still one can't be deprived of a part of his/her body.

There is another aspect of the matter according to the report submitted. It is mentioned that there are 123 cases in different districts where details are still awaited. The State will clear the position regarding this issue.

There is yet another group of 168 ladies who have been subjected to unwanted surgeries but their age has not so far been

established. They shall also be entiitled to compensation on the rates mentioned by this order after medically determining their age.

Compensation shall be paid by the State Government within a period of three months. The compensation shall be deposited in the bank account of each lady directly.

List after six weeks i.e. on 9.06.2016.

Copy of this order be sent to MCI, New Delhi.

(Copy of the report of the Government will form part of the order and will be annexed with the order)

(Justice Bilal Nazki)
Chairperson

Errata:-

Perused the order dated 28.04.2016. Certain typographical errors have occurred which are ordered to be corrected.

(1) In page 6 para 1 starts with "It will not be proper…..paid to the ladies above 40." the word "districts" be read as "doctors"
"It will not be proper for the Commission to observe anything about the conduct of said doctors."

(2) Similarly on same page in para 2 starting with "Deprivation of a part of body…. one can't be deprived of a part of his/her body"
the word "each" occuring in the sentence be read as "age"
"There were ladies in age group of 20-40 which is a productive age and without medical necessity removing the uterus is simply criminal."

(3) On the same page and same para the word "about" should be replaced by "above"
"Generally speaking the age group of above 40 is not productive though there are exceptions but still one can't be deprived of a part of his/her body."

(Justice Bilal Nazki)
Chairperson

निम्नलिखित जिलों के जिला पदाधिकारी द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजनान्तर्गत अनावश्यक/फर्जी गर्भाशय सर्जरी के मामलों की अद्यतन सूची।

क्रम सं0	जिला का नाम	किये गये गर्भाशय की कुल संख्या	मामले की संख्या जिनकी जांच की गई (विभागीय पत्रांक–869 दि0–05.07.12 के आलोक में	बिना जरूरत के किये गये सर्जरी की संख्या					फर्जी सर्जरी की सं0	अभ्युक्ति
				20 वर्ष से कम	20 से 30 वर्ष तक	31 से 40 वर्ष तक	40 से अधिक वर्ष तक	कुल		
1	2	3	4	5					6	8
1	समस्तीपुर	5503	2606	0	85	183	42	*316	14	जिला पदाधिकारी पांच अस्पतालों यथा–1. कृष्णा हॉस्पीटल, आदर्शनगर, समस्तीपुर, 2. माला नर्सिंग होम, विमेंस कॉलेज रोड, काशीपुर, समस्तीपुर 3. मिश्रा नर्सिंग होम, हॉस्पीटल रोड, समस्तीपुर 4. लाईफ लाईन हॉस्पीटल, समस्तीपुर 5. प्रज्ञा सेवा सदन, पटोरी, समस्तीपुर के विरूद्ध FIR दर्ज किया गया, जिसके विरूद्ध निम्न् कार्रवाई की गई :– 1. **कृष्णा हॉस्पीटल** के संचालक डॉ0 महेश कुमार ठाकुर अब तक फरार हैं। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के ज्ञापांक–1130 दिनांक–22.03.16 में डॉ0 महेश कुमार ठाकुर को गिरफ्तारी एवं फिरारी की स्थिति में प्रभावी ढंग कुर्की जप्ती करने की कार्रवाई का निदेश दिया गया है। 2. **माला नर्सिंग होम** के संचालक श्रीमती माला झा माननीय न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिनांक–11.03.14 से जमानत पर है एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के ज्ञापांक–1129 दिनांक–22.03.16 द्वारा उनके विरूद्ध आरोप पत्र समर्पित करने तथा अनुसंधान बंद किये जाने का आदेश पारित करने की अनुशंसा की गयी है। 3. **मिश्रा नर्सिंग** होम के संचालक डॉ0 राजीव कुमार मिश्रा अब तक फरार हैं। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के ज्ञापांक–1128 दिनांक–22.03.16 में डॉ0 राजीव कुमार मिश्रा को गिरफ्तारी एवं फिरारी की स्थिति में प्रभावी ढंग कुर्की जप्ती करने की कार्रवाई का निदेश दिया गया है। 4. **लाईफ लाईन हॉस्पीटल** के संचालक श्री विष्णुदेव प्रसाद माननीय न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिनांक–16.01.14 से जमानत पर है एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के ज्ञापांक–1127 दिनांक–22.03.16 द्वारा उनके विरूद्ध आरोप पत्र समर्पित करने तथा अनुसंधान बंद किये जाने का आदेश पारित करने की अनुशंसा की गयी है। 5. **प्रज्ञा नर्सिंग होम** के संचालक श्रीमती संगीता कुमारी, पति–धमेन्द्र कुमार शर्मा अब तक माननीय न्यायालय में आत्म समर्पण कर दिनांक–18.02.14 से जमानत पर मुक्त हैं। किन्तु दो अन्य सदस्य डॉ0 कान्ती कुमारी, एवं डॉ0 सुधा वर्मा एवं अल्ट्रासोनोग्राफी करने वाले चिकित्सक डॉ0 एस0के0 चौधरी से पूछताछ कर ठोस साक्ष्य संकलित करें। **नोट–दोषी पाये गये 22 चिकित्सकों का निबंधन रद्द करने हेतु जिलाधिकारी के पत्रांक–213 दिनांक–25.02.13 द्वारा पत्र अध्यक्ष, भारतीय चिकित्सा परिषद्, नई दिल्ली भेजी जा चुकी है। इससे संबधित 12 अस्पताल को काली सूची में डालते हुए निबंधन रद्द करने के लिए MIC को पत्र लिखा गया।** *** कुल (310+6) = 316 अनावश्यक गर्भाशय सर्जरी में से 310 मरीजों का उम्र प्रतिवेदन में अंकित है। परन्तु 6 मरीजों का उम्र प्रतिवेदन में अंकित नहीं है।**
2	सारण	1844	333	0	0	0	0	0	-	जिलाधिकारी, सारण के पत्रांक–1311 दिनांक–16.04.16 द्वारा तीन अस्पतालों यथा – जीवनदीप अस्पताल, नेशनल बैंक के पास, सोनपुर, प्रबंधक, श्री राहुल कुमार, त्रिपाठी नर्सिंग होम, जेल के पीछे, छपरा, प्रबंधक, डॉ0 ए0के0 त्रिपाठी एवं देवतारा नर्सिंग होम, मेन रोड, काशी बाजार, छपरा, प्रबंधक डॉ0 भारती सिंह पर अनियमित ढंग से गर्भाशय की शल्य चिकित्सा को आपराधिक धोखाधड़ी करने एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अवैध लाभ लेने का आरोप प्रमाणित हुआ है। **उक्त तीनों अस्पतालों के विरूद्ध दिनांक–26.03.13 को थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई, जिसका थाना कांड संख्या–50/13 है। तीनों अस्पतालों की सूचीबद्धता रद्द कर दी गई है साथ ही अध्यक्ष, मेडिकल कौंसिल ऑफ इंडिया को उपरोक्त तीनों प्राईवेट नर्सिंग होम के आरोपित चिकित्सकों के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया है।**
3	गोपालगंज	1130	638	0	16	105	61	*319	0	जिला पदाधिकारी, गोपालगंज के पत्रांक–369 दिनांक–25.04.16 के द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया है कि अनावश्यक गर्भाशय सर्जरी एवं फर्जी पाया गया। **अनावश्यक गर्भाशय सर्जरी एवं फर्जी के मामले में दिनांक–16.04.16 को 08 अस्पताल/ नर्सिंग होम पर FIR किया गया है (FIR no. 178/16)।** *** कुल (182+137) = 319 अनावश्यक गर्भाशय सर्जरी में से 182 मरीजों का उम्र प्रतिवेदन में अंकित है। 137 मरीजों का उम्र प्रतिवेदन में अंकित नहीं है।**

4	सीवान	647	620	0	1	7	2	10	0	जिला पदाधिकारी, सीवान के पत्रांक–345 दिनांक–25.04.16 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि कुल 09 संबंधित नर्सिंग होम की जांच जिला के संबंधित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के माध्यम से करायी गयी है, जिसमें एक रमेशवर कुमार अस्पताल, पकड़ी मोड़, सीवान में प्रथम दृष्टया कोई भी अनियमितता नहीं पाई गई है। शेष आठ नर्सिंग होम के विरूद्ध मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सीवान के पत्रांक–660 से 667 दिनांक–19.04.16 के द्वारा तीन दिनों के अंदर स्पष्टीकरण की मांग की गई, जिसमें से छः को स्टीकरण का जबाव प्राप्त हो गया है तथा शेष दो अप्राप्त स्पष्टीकरण में से एक **राजमहल लाईफ केयर नर्सिंग होम, बसनपुर पर अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी –सह– ए0डी0के0एम0 द्वारा पत्रांक–156 दिनांक–22.04.16 के द्वारा प्राथमिकी भी बसनपुर थाना में दर्ज की जा चुकी है।**
5	पटना	703	441	0	1	1	0	2	0	जिला पदाधिकारी, पटना के पत्रांक–220 दिनांक–25.04.16 द्वारा हिन्दुस्तान पॉली क्लिनिक, पटना में दो बी0पी0एल0 स्मार्ट कार्डधारियों को अनावश्यक सर्जरी की गई है। **तत्संबंधी स्पष्टीकरण की मांग संबंधित अस्पताल एवं चिकित्सक पर की गई है और 24 घंटे के अन्दर जबाब देने का निदेश दिया गया है।**
6	औरंगाबाद	390	277	0	0	0	0	0	0	जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद का ज्ञापांक–123 दिनांक–20.04.16 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि 18 सूचीबद्ध अस्पतालों से 390 गर्भाशय सर्जरी से संबंधित सची उपलब्ध कराये गये, जिसमें 277 मरीज का जांच संबंधित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी से कराया गया। साथ ही यह प्रतिवेदित किया गया है कि बिना जरूरत के गर्भाशय सर्जरी जिला अन्तर्गत नहीं किया गया है तथा फर्जी सर्जरी की संख्या शून्य है। **परन्तु दो अस्पतालों हेल्थ वर्ल्ड, महाराणा प्रताप चौक, एनएच–2, एवं एस0डी0 अस्पताल, महराजगंज रोड द्वारा रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराने के कारण असैनिक शल्य चिकित्सक पदाधिकारी –सह– मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी ने अपने पत्रांक–1123 दिनांक–20.04.16 से मेडिकल कॉसिल ऑफ इंडिया को सूचित किया गया है।**
7	नालन्दा	6663	2014	0	0	0	0	0	11	जिला पदाधिकारी, नालन्दा का पत्रांक–784 दिनांक–25.04.16 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि पांच अस्पतालों पर 11 मरीजों का फर्जी तरीके से गर्भाशय की सर्जरी की गई है उनके विरूद्ध संबंधित **थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है।** 1. बिहार क्लिनिक, पुरानी जेल, बिहारशरीफ में **प्राथमिकी संख्या–129 / 16 दिनांक–05.04.16** 2. जानकी आरोग्य मंगल स्थान, बिहारशरीफ में **प्राथमिकी संख्या–100 / 16 दिनांक–05.04.16** 3. गोकुल परिवार एवं शिशु केन्द्र, करायपरशुराय में **प्राथमिकी संख्या–32 / 16 दिनांक–06.04.16** 4. जया नर्सिंग होम, बिहारशरीफ **प्राथमिकी संख्या–100 / 16 दिनांक–05.04.16** 5. संजीवनी हॉस्पीटल, बिहारशरीफ **प्राथमिकी संख्या–100 / 16 दिनांक**–05.04.16
8	शेखपुरा	881	130	0	7	12	4	*46	0	जिला पदाधिकारी, शेखपुरा का पत्रांक–415 दिनांक–26.04.16 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि गर्भाशय सर्जरी में गड़बड़ी करने वाले अस्पतालों एवं डॉक्टरों के विरूद्ध संबंधित थाना शेखपुरा थाने में कांड संख्या–118 / 16 दिनांक–22.04.16 कुल पांच डॉक्टरों के विरूद्ध एवं बरबीघा थाना में कांड संख्या–537 / 16 दिनांक–22.04.16 को दो डॉक्टरों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है एवं तद्लोक में संबंधित चिकित्सकों यथा–डॉ0 रवि रंजन राकेश, डॉ0 अजय कुमार, डॉ0 के0 पुरूषोत्तम, सर्जन सदर अस्पताल, शेखपुरा, डॉ0 अशोक कुमार सिंह, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, शेखपुरा, डॉ0 आत्मा नन्द, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, बरबीघा, डॉ0 भुवनेश्वर प्रसाद एवं डॉ0 कृष्ण मुरारी, चिकित्सा पदाधिकारी, शेखपुरा का निबंधन रद्द करते हुए उनके विरूद्ध विधिसम्मत् कार्रवाई हेतु सचिव, **बिहार मेडिकल कॉन्सिल, पटना को प्रतिवेदित किया गया है। कुल सात डॉक्टरों पर FIR दर्ज किया गया है।** *** कुल (23+23) = 46 अनावश्यक गर्भाशय सर्जरी में से 23 मरीजों का उम्र प्रतिवेदन में अंकित**

9	पूर्वी चम्पारण	556	395	0	0	0	0	0	12	जिलाधिकारी, पूर्वी चम्पारण के पत्रांक–127 दिनांक–17.04.16 द्वारा 556 गर्भाशय से संबंधित महिलाओं में से 395 महिलाओं की जांच पूर्ण कर ली गई है एवं 161 मामलों की जांच प्रक्रियाधीन है। 12 मामला फर्जी पाया गया है, गलत पाये गये ऑपरेशन के मामले में सिविल सर्जन को अविलम्ब प्राथमिकी दर्ज करते हुए कानूनी कार्रवाई करने का आदेशित किया गया। तद्नुरूप अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी –सह– ए0डी0के0एम0 के पत्रांक–44 (RSBY) दिनांक–24.04.16 द्वारा थाना प्रभारी, नगर थाना मोतिहारी में संबंधित अस्पतालों यथा–ए0एम0 नर्सिंग होम, गोपालपुर, भवानी नर्सिंग होम, अगरवा, वात्सल्य नर्सिंग होम, गोपालपुर, समीमा हेल्थ सेंटर, मोतिहारी, सुश्रुत सेवा केन्द्र, मोतिहारी, मां नर्सिंग होम, कृष्णानगर, आस्था नर्सिंग होम कुल सात अस्पताल प्रबंधन पर **प्राथमिकी संख्या–277/16 दिनांक–24.04.16 द्वारा प्राथमिकी दर्ज कर दी गई है।**
10	नवादा	460	321	0	0	1	4	5	1	जिला पदाधिकारी, नवादा के पत्रांक–16 दिनांक–26.04.16 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि नवादा जिला में जिला पदाधिकारी–सह– अध्यक्ष के द्वारा गठित जाँच दल द्वारा समर्पित चेक लिस्ट एवं प्रतिवेदन के आलोक में अनावश्यक/ गलत गर्भाशय सर्जरी करने के लिए दोष सिद्ध अस्पतालों की आर0एस0बी0वाई0 योजना के अन्तर्गत सिटी हॉस्पीटल, मां जगदम्बा नर्सिंग होम एवं लाईफ लाइन नर्सिंग होम को सूची सम्बद्धता रद्द करते हुए **प्राथमिकी संख्या 250/16.दिनांक 26.04.2016 द्वारा प्राथिमिकी दर्ज कराई गई है।** साथ ही दोषी चिकित्सकों के विरूद्ध विधि–सम्मत् हेतु असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदा0, नवादा को निदेशित किया गया है।
11	मधुबनी	2404	1846	0	2	1	0	3	0	जिलाधिकारी, मधुबनी के ज्ञापांक–23 दिनांक–20.04.16 द्वारा माधुरी नर्सिंग होम, जलधारी चौक, मधुबनी की जांच के दौरान जांच टीम को ऐसे 3 मरीजों से संबंधी अभिलेख या कागजात प्राप्त हुए हैं जिन्हें गर्भाशय सर्जरी करने की आवश्यकता थी ही नहीं। अतः इस अस्पताल के प्रबंधक, संबंधित चिकित्सक (सर्जन) एवं बीमा प्रदाता कंपनी के विरूद्ध **नगर थाना कांड सं0–157/16 दिनांक–20.04.16 दर्ज की गई है एवं उनके विरूद्ध अन्य दण्डात्मक कार्रवाई की जा रही है।**
12	जमुई	2507	430	0	0	2	0	*2	83	जिला पदाधिकारी, जमुई का पत्रांक–984 दिनांक–26.04.16 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आई0सी0आई0सी0 आई0 लोम्बार्ड सूची के अनुसार कुल 82 मामलों में पुरूष मरीजों का गर्भाशय सर्जरी की विवरणी प्राप्त हुआ है एवं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, गिदौर के पत्रांक–420 दिनांक–05.08.2012 से श्रीमती सुदमियां देवी, पति–परेमेश्वर यादव एवं श्रीमती जनिया देवी, पति–दरोगा यादव, ग्राम–अलखपुरा, गिदौर के गर्भाशय सर्जरी में अनियमितता प्रतिवेदित है, जिसके आधार पर चिकित्सक/निजी नर्सिंग होम के संचालक से सभी अभिलेखों के साथ स्पष्टीकरण की मांग की गई थी। दिनांक–25.04.16 को डॉ0 संजय कुमार मंडल, (मां जगदम्बा क्लिनिक), डॉ0 राजेश कुमार, डॉ0 अमीत आनन्द एवं डॉ0 उमा कुमारी द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गई है। **गहन जांच हेतु अतिरिक्त समय देने हेतु मांग की गई है। डॉ0 अमित आनन्द, डॉ0 राजेश कुमार एवं डॉ0 संजय मंडल के विरूद्ध मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को निबंधन रद्द करने हेतु पत्र दिया गया है।** *** कुल 2 अनावश्यक गर्भाशय सर्जरी में मरीजों का उम्र प्रतिवेदन में अंकित नहीं है।**
13	गया	1116	1116	0	0	0	0	0	0	जिला पदाधिकारी, गया का ज्ञापांक–15 दिनांक–21.04.16 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि 1116 लाभार्थियों को जांच की गई। जांच के दौरान 997 मामले में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं पाई गई है। **शेष 119 मामले में जांच के दरौन लाभुक उक्त पते पर घर में नहीं पाये गये। इसे पुनः जांच हेतु असैनिक शल्य चिकित्सक –सह– मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी को निदेश दिया गया है।**
14	बक्सर	113	113	0	0	0	0	0	0	जिलाधिकारी, बक्सर के पत्रांक–10–0902 दिनांक–07.04.16 द्वारा गर्भाशय सर्जरी से संबंधित निदेशित प्रक्रिया के अतर्गत जांच की गई एवं प्रतिवेदन सामान्य पाया गया।
15	खगड़िया	1836	124	0	0	0	0	0	0	जिलाधिकारी, खगड़िया के पत्रांक–1167 दिनांक–04.04.16 द्वारा जांच के क्रम प्रतिवेदित किया गया है कि गर्भाशय सर्जरी से संबंधित मामला शून्य है। खगड़िया सिविल सर्जन से वार्ता हुई उनसे पूछा गया कि आपके यहां 1836 गभार्शय सर्जरी की गई है जिसमें आपने 124 केसेस कसे ही जांच किया। सी0एस0 ने कहा कि जिला पदाधिकारी से वार्ता हुई तो उन्होंने कहा है कि जितने की जांच हुई है उतने के ही आप भेजे।

16	अरवल	53	34	0	0	0	0	0	2	जिलाधिकारी, अरवल के पत्रांक–75 दिनांक–12.04.16 द्वारा कुल 34 मरीजों को जांच की गई, जिसमें दो मरीजों की मृत्यु हो चुकी है तथा दो मरीजों के नाम पुरूष का नाम अंकित पाया गया है, जिसे कॉलम 6 में दर्शा दिया गया है। साथ ही एक मरीज गांव में नहीं पाये गये तथा एक मरीज का पता सही नहीं पाया गया।
17	बांका	122	122	0	0	0	0	0	0	जिलाधिकारी, बांका के पत्रांक–695 दिनांक–20.04.2016 द्वारा बांका से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर जिलान्तर्गत RSBY से संबंधित Unwannted सर्जरी से संबंधित प्रतिवेदित मामले की संख्या शून्य है।
18	सुपौल	609	69	0	0	0	0	0	0	जिलाधिकारी, सुपौल के पत्रांक–193–2 दिनांक–11.04.16 के जांच प्रतिवेदन में Unwannted सर्जरी से संबंधित प्रतिवेदित मामले की संख्या शून्य है।
19	बेगुसराय	2539	841	0	0	0	0	0	0	जिलाधिकारी, बेगुसराय के पत्रांक–1428 दिनांक–18.04.16 द्वारा मरीजों के रोगों के लक्षण के हिसाब से गर्भाशय की सर्जरी वास्तव में सहीं किया गया है।
20	भागलपुर	1163	86	0	0	0	0	0	0	जिलाधिकारी, भागलपुर के पत्रांक–268 दिनांक–05.04.16 द्वारा पांच अस्पताल को चिन्हित किया गया, जिसमें से 25 प्रतिशत से ज्यादा गर्भाशय सर्जरी की गई थी उनमें से तीन अस्पताल को जांच किया गया। जांच प्रतिवेदन में किसी प्रकार का अनियमितता का उल्लेख नहीं है।
21	सीतामढ़ी	1069	75	0	0	0	0	0	0	जिलाधिकारी, सीतामढ़ी के ज्ञापांक–1148 दिनांक–13.04.16 द्वारा जांच प्रतिवेदन में गर्भाशय सर्जरी से संबंधित मामला शून्य है।
22	सहरसा	1254	1048	0	0	0	0	0	0	जिलाधिकारी, सहरसा के पंत्राक–88–1 दिनांक–05.04.16 द्वारा जांच प्रतिवेदन में गर्भाशय सर्जरी से संबंधित मामला शून्य है।
23	लखीसराय	286	118	0	0	0	0	0	0	जिलाधिकारी के पत्रांक–05 दिनांक–05.04.16 द्वारा गर्भाशय सर्जरी से संबंधित unwaranted कोई मरीज प्रतिवेदित नहीं है।
24	किशनगंज	374	341	0	0	0	0	0	0	जिलाधिकारी के पत्रांक–144 दिनांक–22.04.16 द्वारा गर्भाशय सर्जरी से संबंधित 341 मरीजों की जांच गई जिसमें से 319 मरीजों की जांच सही पाई गई। शेष 22 में से 4 का ट्रेस नहीं मिला एवं 18 का चेकलिस्ट अपूर्ण है।
25	शिवहर	480	300	0	0	0	0	0	0	जिलाधिकारी, शिवहर के पत्रांक–03/RSBY दिनांक–07.06.2016 द्वारा प्राप्त पत्र में अनावश्यक एवं फर्जी गर्भाशय सर्जरी से संबंधित कोई मामला नहीं है।
26	मुजफ्फरपुर	1453	617	0	0	0	0	0	0	जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के पत्रांक–118 दिनांक–25.04.16 द्वारा मुजफ्फरपुर जिले के सूचीबद्ध 13 अस्पतालों में से 04 अस्पताल यथा–मां जानकी अस्पताल, बैरिया, लीलावती अस्पताल, आखाड़ाघाट रोड,प्रज्ञा नर्सिंग होम, भगवानपुर एवं हार्ट हॉस्पीटल, बैंक रोड, मुजफ्फरपुर में कुछ प्रथम दृष्टया अनियमिताएं मिली थी, जिसकी जांच सिविल सर्जन की अध्यक्षता में त्रिस्तरीय जांच दल द्वारा की गई। जांच में औचित्यपूर्ण कारणों से संबंधित मामले में की गई सर्जरी औचित्यपूर्ण पाया गया।
27	प0 चम्पारण	2589	1355	0	0	0	0	0	0	जिला पदाधिकारी, प0 चम्पारण के पत्रांक–51 दिनांक–25.04.16 द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया है कि 1355 में से 132 का अनुपस्थिति या अन्य कारण से सत्यापन नहीं हो सका।
28	दरभंगा	1238	57	0	0	0	0	0	0	जिला पदाधिकारी, दरभंगा का पत्रांक–15 दिनांक–25.04.16 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि 57 लाभार्थियों को जांच की गई। जांच के दौरान अनावश्यक सर्जरी एवं फर्जी सर्जरी शून्य पाया गया।
29	मुंगेर	673	33	0	0	0	0	0	0	जिला पदाधिकारी, मुंगेर का पत्रांक–991 दिनांक–25.04.16 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि अनावश्यक एवं फर्जी सर्जरी से संबंधित जांच प्रतिवेदन शून्य है।
30	पूर्णिया	2011	2011	0	0	0	0	0	0	जिला पदाधिकारी, पूर्णियां का पत्रांक–1475 दिनांक–04.04.16 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि अनावश्यक एवं फर्जी सर्जरी से संबंधित जांच प्रतिवेदन शून्य है।
31	रोहतास	8	8	0	0	0	0	0	0	जिला पदाधिकारी, रोहतास का पत्रांक–1481 दिनांक–26.04.16 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि अनावश्यक एवं फर्जी सर्जरी से संबंधित जांच प्रतिवेदन शून्य है।
32	भोजपुर	931	80	0	0	0	0	0	0	जिला पदाधिकारी, भोजपुर का पत्रांक–50 दिनांक–23.04.16 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि अनावश्यक एवं फर्जी सर्जरी से संबंधित जांच प्रतिवेदन शून्य है।
33	अररिया	411	101	0	0	0	0	0	0	जिला पदाधिकारी, अररिया का पत्रांक–308 दिनांक–16.04.16 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि अनावश्यक एवं फर्जी सर्जरी से संबंधित जांच प्रतिवेदन शून्य है।
34	जहानाबाद	284	255	0	0	0	0	0	0	जिला पदाधिकारी, जहानाबाद का पत्रांक–677 दिनांक–26.04.16 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि अनावश्यक एवं फर्जी सर्जरी से संबंधित जांच प्रतिवेदन शून्य है।

35	कटिहार	706	22	0	0	0	0	0	0	जिला पदाधिकारी, कटिहार का पत्रांक–117 दिनांक–26.04.16 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि अनावश्यक एवं फर्जी सर्जरी से संबंधित जांच प्रतिवेदन शून्य है।
36	मधेपुरा	191	12	0	0	0	0	0	0	जिला पदाधिकारी, मधेपुरा का पत्रांक–128–2 दिनांक–26.04.16 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मधेपुरा जिला में कुल 07 नर्सिंग में से 6 नर्सिंग होम की गर्भाशय सर्जरी से संबंधीत अभिलेख की जाँच की गई। अभिलेख की जाँच में जाँच प्रतिवेदन शून्य पाया गया ।
37	कैमुर	632	0	0	0	0	0	0	0	सिविल सर्जन–सह –सदस्य सचिव जिला स्वास्थ्य समिति, कैमूर के पत्रांक 542 दिनांक 25.4.16 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि अनावश्यक एवं फर्जी सर्जरी से संबंधित जांच प्रतिवेदन शून्य है।
38	वैशाली	861	190	0	0	0	0	0	0	जिलाधिकारी वैशाली के पत्रांक–938 दिनांक–23.04.16 द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया है कि गर्भाशय सर्जरी से मामला शून्य है, लेकिन सर्जरी की प्रक्रिया गलत पाई गई है। परन्तु चार अस्पताल को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना से असूचीबद्ध कर दिया गया है। आरोपित डॉक्टरों एवं अन्य पदाधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध की गई कार्रवाई संबंधी विवरणी सिविल सर्जन वैशाली के ज्ञापांक 926 दिनांक–21.04.16 के द्वारा कारणपृच्छा की गई, जवाब प्राप्त होने पर कार्रवाई की जाएगी। वैशाली नर्सिंग होम, आदर्श नर्सिंग होम एवं मीषा क्लिनिक को सिविल सर्जन द्वारा पांच दिनों में स्पष्टीकरण पूछने का आदेश जिला पदाधिकरी द्वारा दिया गया।
कुल :–		**46690**	**19179**	**0**	**112**	**312**	**113**	**703**	**123**	

*** जिलों से प्राप्त प्रतिवेदन में कुल 703 अनावश्यक गर्भाशय सर्जरी प्रतिवेदित है। जिसमें से 535 मरीजों का उम्र प्रतिवेदन में अंकित है। परन्तु 168 मरीजों का उम्र प्रतिवेदन में अंकित नहीं है, जिनकी जिलावार विवरणी निम्नवत् है :–**

1 समस्तीपर * कुल (310+6) = **316** अनावश्यक गर्भाशय सर्जरी में से 310 मरीजों का उम्र प्रतिवेदन में अंकित है। परन्तु 6 मरीजों का उम्र प्रतिवेदन में अंकित नहीं है।
2 गोपालगंज * कुल (182+137) = **319** अनावश्यक गर्भाशय सर्जरी में से 182 मरीजों का उम्र प्रतिवेदन में अंकित है। परन्तु 137 मरीजों का उम्र प्रतिवेदन में अंकित नहीं है।
3 शेखपुरा * कुल (23+23) = **46** अनावश्यक गर्भाशय सर्जरी में से 23 मरीजों का उम्र प्रतिवेदन में अंकित है। परन्तु 23 मरीजों का उम्र प्रतिवेदन में अंकित नहीं है।
4 जमुई * कुल **2** अनावश्यक गर्भाशय सर्जरी में से दोनों मरीजों का उम्र प्रतिवेदन में अंकित नहीं है।

जिलों से प्राप्त प्रतिवेदन में अस्पताल (प्रबंधन)/नर्सिंग होम/डाक्टर पर की गई कार्रवाई निम्नवत् है :–

*** जिलों से प्राप्त प्रतिवेदित विवरणी के आधार पर कुल अस्पतालों पर की गई FIR की संख्या–33**
*** कुल डाक्टरों पर की गई FIR की संख्या–13**
*** MCI से चिकित्सकों का निबंधन रद्द करने की संख्या–33**
*** MCI से अस्पतालों को मान्यता रद्द करने की संख्या–17**
***डॉक्टर एवं अस्पतालों से मांगी गई स्पष्टीकरण की संख्या–16**

Programmer RSBY
D.E.O. RSBY
SPO RSBY SHSB